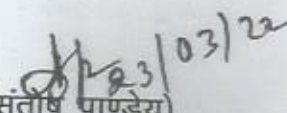


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी 0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी 0 372 तक पीलीभीत बाईपास निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 पीलीभीत


 (संतोष पाण्डेय)
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पीलीभीत